RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 6/2023

अपीलांटगण–

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री जेठाराम पुत्र खंगाराम
   - 1.1 सुकी देवी पत्नी जेठाराम
   - 1.2 रामसिंह पुत्र जेठाराम
   - 1.3 शंकरसिंह पुत्र जेठाराम
   - 1.4 गेपालसिंह पुत्र जेठाराम
   - 1.5 एवनदंवी पुत्री जेठाराम
   - 1.6 सीतादेवी पुत्री जेठाराम
2. श्री मालाराम पुत्र खंगाराम

जातियान पुरोहित, निवासीयान इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 13.07.1974 जो नामान्तरकरण सं. 589 दिनांक 15.10.1985 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजकीय पैरोकार उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 1/2 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह चम्पावत अनुपस्थित।
3. दीगर रेस्पोडेंटगण संख्या 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 16.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 800 रकबा 149.06 बीघा के तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1974 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2022 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना की भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.06 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश दिनांक 13.07.1974 के जरिये अप्रार्थी को उक्त ग्राम इन्द्राणा के खसरा नं. 800/1(1380/800) रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1492/800 रकबा 0.0648 हैक्टयर) भूमि गैर मुमकिन ओरण के बजाय गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार सिवाना को गैर मुमकिन बाड़ा के नियमन का क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर इस आवंटन को गलत बताते हुए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 13.07.0974 को निरस्त करने एवं ग्राम इन्द्राणा की आराजी खसरा नम्बर 800/1 रकबा 35.03 बीघा को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी से निरस्त कर गैर मुमकिन ओरण दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया।

3. रेफरेन्स आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वजों का सैटलमेंट से पूर्व कई वर्षों से कब्जा था। राजस्व अभिलेख में काश्तकार सिकमी के कॉलम में औरण शब्द लिखा गया है, जबकि उक्त कॉलम में जागीरदार की भूमि के काश्तकार का नाम लिखा जाना है, न कि औरण, गौचर, पड़त इत्यादी इससे साफ स्पष्ट है उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में भारी फेरबदल किया गया है, वरना दिनांक 15.10.1955 को जिन भूमियों के राजस्व अभिलेख में औरण, गौचर इत्यादी लिखा हुआ था वो भूमियां किसी भी सक्षम अधिकार के द्वारा विधि से जाकर आवंटन ही नहीं की गई है व न ही की जा सकी है। अतः रेफरेंस प्रार्थना–पत्र गलत, आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

5. राजकीय पैरोकार दौराने बहस कथन किया कि मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना की भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.06 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश दिनांक 13.07.1974 के जरिये अप्रार्थी सं. 01 को उक्त ग्राम इन्द्राणा के खसरा नं. 800/1(1380/800) रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1492/800 रकबा 0.0648 हैक्टयर) भूमि गैर मुमकिन ओरण के बजाय गैर

जिला कलक्टर
बालोतरा

मुमकिन बाड़ा दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है जिसका खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 13.07.1974 को गलत एवं अवैध बताते हुए नियमन निरस्त करने एवं मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थीगण संख्या 1/2 व 2 की ओर से अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

7. अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 स्वयं दौराने बहस बावजुद सूचना अनुपस्थित।

8. हमने प्रार्थी की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 800/01 रकबा 35.03 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1492/800 रकबा 0.0648 हैक्टयर) बीघा भूमि की अप्रार्थी की गैर खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा इन्द्राणा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.6 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन ओरण के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी, ओरण आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। गलत आवंटन के फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Jagpal Singh & Ors vs State of Punjab &**

जिला कलक्टर
बालोतरा

Ors on 28 January,2011 के अनुसरण में सामुदायिक भूमि को व्यक्तिगत हित में नियमन भी प्रतिबंधित किया गया है। तहसीलदार सिवाना ने इस संबंध में कोई जॉच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड तथा कानून के सभी प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी के पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 13.07.1974 को ग्राम इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खसरा नं. 800/1 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1492/800 रकबा 0.0648 हैक्टयर) भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

10. आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा